

नेपाल राजपत्र

भाग ३

श्री ५ को सरकारद्वारा प्रकाशित

काठमाडौं, माघ ५ गते २०३२ साल

श्री ५ को सरकार

उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयको

सूचना

औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० को दफा ७ (१) र (२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले देहायका व्यक्तिहरू भएको इजाजत समितिको गठन गरेको छ।

- | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|------------|
| १. | श्री माननीय मन्त्री, वा राज्यमन्त्री उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालय | - | - | - | - | अध्यक्ष |
| २. | श्री गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैंक | - | - | - | - | सदस्य |
| ३. | श्री सचिव, उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालय | - | - | - | - | सदस्य |
| ४. | श्री सचिव, अर्थ मन्त्रालय | - | - | - | - | सदस्य |
| ५. | श्री सदस्य-सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोग | - | - | - | - | सदस्य |
| ६. | श्री महा-निर्देशक, उद्योग विभाग | - | - | - | - | सदस्य-सचिव |

कृषि तथा वनमा आधारित उद्योग स्थापनार्थ समितिले सम्बन्धित सचिवको परामर्श लिएर मात्र सिफारिश गर्नु पर्नेछ।

खण्ड २५ संख्या ६ मिति ०३२।२।५ को नेपाल राजपत्र भाग ४ मा प्रकाशित यस मन्त्रालयको यस विषयको सूचना खारेज गरिएको छ।

आज्ञाले-

देवेन्द्रराज उपाध्याय

श्री ५ को सरकारको सचिव

(६)

आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।

